न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
र्थना पत्र संख्या :– 50/2021

1. अनिता देवी पत्नी बालूराम
2. गायत्री देवी पत्नी कैलाश चन्द
3. मिंटू देवी पत्नी सुरेश कुमार
4. ममता देवी पत्नी बनवारी लाल

समस्त जाति अहिर निवासी श्यामावाली कोठी तन हनुतिया तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. वासुदेव सिंह पुत्र मूलसिंह } समस्त जाति चारण निवासी ढाणी विक्रमसिंह की तन
2. विक्रमसिंह पुत्र मूलसिंह } हनुतिया तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
3. पटवारी हल्का हनुतिया तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
4. उपपंजीयक, अमरसर
5. उप तहसीलदार अमरसर
6. तहसीलदार शाहपुरा जयपुर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. श्री रविशंकर अग्रवाल, प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री मदनलाल जाट एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 22/4/2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र हाल आराजी खसरा नम्बर 571/954/0.22, 574/1/0.41 कुल किता 2 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम हनुतिया तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज रहकर काश्त व उसका बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य उक्त भूमि का आजतक कोई वैधानिक बटवारा नही हुआ है। उपरोक्त भूमि सम्मिलित सह खातेदारी की भूमि है। जिसमे प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/8, 1/8 अर्थात 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 का सगा भाई है जिन्होने प्रार्थीगण के विरूद्ध नाजायज संगठन बना रखा है जो प्रार्थीगण को उनके 1/2 भाग से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते है व कब्जे काश्त व आवागमन में मजाहमत पैदा करते है। अर्सा 5 रोज पूर्व प्रार्थी संख्या 2 अपनी भूमि की देखरेख कर रही थी कि अप्रार्थीगण व उनके परिवारजन एकराय होकर प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की नियत से आये। प्रार्थी संख्या 2 ने मना किया तो वे झगडा करने पर आमदा हो गये और प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने व आराजी के विशिष्ट भू–भाग को अन्य दीगर को विक्रय स्थानान्तरण करने की धमकी दी अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को कानूनी बटवारा कराने को कहा तो साफ इंकार हो गये। इस कारण प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अन्त में निवेदन किया कि उक्त आराजी का बटवारा कराकर अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि उक्त आराजी प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। विवादित आराजी का उसके पूर्व खातेदार संतोष मिश्रा वगै0 ने काफी समय पूर्व ही आपसी सहमति से सरस–नरस के आधार पर बाहमी बटवारा किया था उक्त बाहमी बटवारे में संतोष मिश्रा पत्नी कैलाश चन्द के आराजी खसरा नम्बर 571/954 रकबा 0.22 है0 , 574/1 रकबा 0.41 है0 भूमि कुल किता 2 रकबा 0.63 है0 वाकै ग्राम हनुतिया में पश्चिम दिशा की 0.3150 है0 भूमि आई थी तथा अन्य खातेदारान गुलाबचंद के हिस्से में पूर्व दिशा की 0.3150 है0 भूमि आई थी। उक्त बाहमी बटवारे के अनुसार ही आराजी मुतनाजा के पूर्व खातेदारान काबिज काश्त रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 वासुदेव

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सिंह ने उक्त आराजी के सहखातेदार संतोष मिश्रा से पूर्ण प्रतिफल अदा कर उसके हक व 1/2 हिस्से की भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 द्वारा खरीद कर उसके बाहमी बटवारे में आई पश्चिम दिशा की 0.3150 है0 भूमि का कब्जा प्राप्त किया था जिसका उल्लेख पंजीकृत विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 खरीद के समय से ही काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने भी पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा पूर्व खातेदार गुलाब चन्द वगैरह से उनके 1/2 भाग हिस्से की भूमि को खरीद कर आराजी के पूर्व दिशा की 0.3150 है0 भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। जिस पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारे के अनुसार बटवारा हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नही कर रहे है बल्कि बाहमी बटवारे के अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए अंकित किये गये है। प्रार्थी का पक्ष प्रथम दृष्टया नही बनता है। सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानि का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध कानूनन रूप से निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। पूर्व मे ही विवादित आराजी का मूल खातेदार से बाहमी बटवारा हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमायी जावे। जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1. आर बी जे 2019 पेज 414
2. आर बी जे 2005 पेज 666
3. आर बी जे 2007 पेज 296

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 571/954 रकबा 0.22 है0 574/1 रकबा 0.41 है0 वाकै ग्राम हनुतिया तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। आज तक उक्त आराजी का वैधानिक बटवारा नही हुआ है। उक्त आराजी सहखातेदारी भूमि पर सबका कब्जा माना जाता है सहखातेदारी भूमि मे किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान नही कर सकता है। मूल वाद बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का है जिस पर बिना विधिक बटवारा कराये किसी भी सहखातेदार का विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा नही माना जाता है। जब तक मूल वाद में कानूनी बटवारा नही हो जाता है तब तक अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे अगर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी धनराशि से नही की जा सकती है जिसके संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1. 2010 आर आर डी 96
2. 1996 आर आर डी 148
3. 2021(1) आर आर डी 295
4. 2003 आर आर डी 74
5. 2004(11) आर आर डी 771

वकीलं उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का व पत्रावली का सूक्ष्मपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के निस्तारण के लिए न्यायालय को मुख्यरूप से (1) प्रथम दृष्टया केस (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूर्णीय क्षति के बिन्दु विचारणीय है जिन पर न्यायालय बिन्दुवार विवेचन निम्न प्रकार है।

(1) प्रथम दृष्टया केस:—प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 571/954 रकबा 0.22 है0 , 574/1 रकबा 0.41 है0 कुल किता 2 रकबा 0.63 है0 भूमि वाकै ग्राम हनुतिया तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार होना तथा हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करना तथा आराजी का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 के मध्य वैधानिक बटवारा नही होने का व अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को भूमि से जबरन बेदखल करने व आवागमन नही करने देने, आराजी के विशिष्ट भू-भाग को अन्य दीगर को रहन स्थानान्तरण करने की धमकी देने बाबत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अभिकथन किया है। इसी कदर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद फरमाया जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में इन्ही तथ्यों को दोहराते हुए व प्रस्तुत दस्तावेजात के बाबत अपने तर्क प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस होना बताया है।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का उसके पूर्व खातेदार संतोष मिश्रा वगैरह ने काफी समय पूर्व ही आपसी सहमति सरस-नरस के आधार पर बाहमी बटवारा किया था जिसमें संतोष मिश्रा के वादग्रस्त आराजी में से पश्चिम दिशा की 0.3150 है0 भूमि बटवारे मे आई थी तथा अन्य खातेदार गुलाब चन्द वगैरह के हिस्से में पूर्व दिशा की 0.3150 है0 भूमि बटवारे मे आई थी। उक्त बाहमी बटवारे के अनुसार ही पूर्व खातेदारान

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि.

काबिज काश्त रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार सतोष मिश्र से उसके हक हिस्से की भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 द्वारा खरीद कर उसके बाहमी बटवारे में आई पश्चिम दिशा की 0.3150 है0 भूमि का कब्जा प्राप्त किया था जिसका उल्लेख पंजीकृत विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से किया हुआ है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 खरीद के समय से काबिज काश्त है। प्रार्थीगण अनिल वगैरह ने भी पूर्व खातेदार गुलाब चन्द वगैरह से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उनके 1/2 भाग की भूमि खरीद कर पूर्व दिशा की 0.3150 है0 भूमि का कब्जा प्राप्त किया था और उसी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने बाहमी बटवारे के तथ्य को छुपाकर गलत एवं मनगढ़न्त तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को तथाकथित प्रकार से उनके कब्जेकाश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने की कोई धमकी दी हो इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध कानूनन रूप से निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में इन्हीं तथ्यों को दोहराते हुए व प्रस्तुत दस्तावेजात के बाबत अपने तर्क प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस नहीं होना एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बटवारा चाहा गया है। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से रकबा–रकबा के आधार पर बाहमी बटवारा होने का अभिकथन किया है। वादग्रस्त आराजी के बटवारे का बिन्दु मूल वाद में देखा जाना है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण 1/2 भाग के व अप्रार्थी संख्या 1, 1/2 भाग के सहखातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो उनको वादग्रस्त आराजी में उनके हक हिस्से की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बेदखल किया जा रहा हो। कानूनन रूप से भी प्रार्थीगण आराजी के सहखातेदार अप्रार्थी संख्या 1 को निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। इस कारण प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थीगण अपने पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं कर पाये है।

(2) सुविधा का संतुलन– प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 क्रमशः 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार है तथा न्यायालय के मत में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस का बिन्दु नहीं बनना पाया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 दोनो ही वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है इस कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

(3) अपूर्णीय क्षति–प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर, उनके आवागमन में बाधा पैदा कर व आराजी के विशिष्ट भाग को तीसरे व्यक्ति को अंतरण कर अप्रार्थी संख्या 4 के कार्यालय में पंजीबद्ध करवा देगें तो प्रार्थीगण को अपूरणीय हानि होगी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने इन्हीं तथ्यों को बहस के दौरान दोहराया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध कानूनन रूप से निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोई धमकी नहीं दी है ना ही बाहमी बटवारे अनुसार वादग्रस्त भूमि का बटवारा कराने से मना किया है। इस कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूरणीय हानि नहीं होती है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस इन्हीं तथ्यों को दोहराया। न्यायालय के मत में वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि को अपने उपयोग उपभोग में लेने तथा अपने हिस्से की हद तक भूमि का अंतरण करने से दूसरे सहखातेदार को किसी भी प्रकार की अपूरणीय हानि नहीं होती है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन का बिन्दु उपरोक्त विवेचन से बनना नहीं पाया है। इस कारण अपूरणीय हानि का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।
आदेश आज दिनांक 22 [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया

([illegible])
[illegible]
[illegible]